न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी बृजमोहन बैरवा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 41/2015

बउनवान

सरकार जर्ये थानाधिकारी पुलिस थाना अन्ता जर्ये जिला पुलिस अधीक्षक महोदय बारॉ
(सायल)

बनाम

आबिद पुत्र सुभान खॉं जाति मुसलमान निवासी भैरूपाडा, अन्ता जिला बारॉं
(गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3

उपस्थिति :– 1– अभियोजन अधिकारी (सायल)

2– श्री बृजमोहन गोयल अभिभाषक (गैरसायल)

निर्णय दिनांक 12.10.2021

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल आबिद पुत्र सुभान खॉं जाति मुसलमान निवासी भैरूपाडा, अन्ता जिला बारॉं के विरूद्व जिला पुलिस अधीक्षक, बारॉ द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना अन्ता ने जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, बारां को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना अन्ता जिला बारॉ क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है। यह व्यक्ति जुआ सट्टा एवं आम लोगों के साथ गम्भीर मारपीट के अपराध कारित करता रहता है। इस पर चोरी, गंभीर मारपीट, धोखाधड़ी, राजकार्य में बाधा, लोकसेवकों पर हमला, सम्पत्ति को क्षति तथा जुआ सट्टा सम्बन्धी चालान न्यायालय में पेश किये जा चुके है। इसके विरूद्व पुलिस थाना अन्ता में वर्ष 1987 से 2015 तक की अवधि में कुल 16 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ(06), पीडीपीपी व एससी/एसटी एक्ट(01) एवं भादस(09) के तहत दर्ज हुये है। जिनमें कुल 06 प्रकरणों में अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियॉ जारी है तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरूद्व कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरूद्व राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासा प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 16:40:54 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कृत्य किये जाने से सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता में भय का वातावरण उत्पन्न होता है। गैरसायल के कुल 06 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्व ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसके विरूद्व अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा–3 के तहत कार्यवाही की जावे। इस्तगासा विरूद्व गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

इसके उपरांत गैरसायल के विरूद्व प्रस्तुत इस्तगासे को दिनांक 12.08.2015 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओं को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया तथा गैरसायल की जर्ये सम्मन तलबी की गई। गैरसायल द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। गैरसायल के अभिभाषक द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

दौराने बहस अभियोजन अधिकारी सरकार पक्ष का मुख्य कथन है कि गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना अन्ता में वर्ष 1987 से 2015 तक की अवधि में कुल 16 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ(06), पीडीपीपी व एससी/एसटी एक्ट(01) एवं भादस(09) के तहत दर्ज हुये है। जिनमें कुल 06 प्रकरणों में अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियॉ जारी है तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासा प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे।

गैरसायल द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब के कथनों को दोहराते हुए कहा गया कि अप्रार्थी के विरूद्ध लगाये गये प्रकरण अलग वर्ष में दर्ज हुए है तथा गुण्डा एक्ट अधिनियम के अनुसार 6 माह में 03 प्रकरण दर्ज होना आवश्यक है जो कि प्रार्थी के विरूद्ध दर्ज नहीं हुए है। किसी भी व्यक्ति समूह संगठन एवं सामाजिक संगठन के द्वारा कोई भी प्रकरण दर्ज नहीं करवाया गया है। जो भी प्रकरण है, वह पुलिस थाना द्वारा दर्ज करवाये गये है, जो मिथ्या है। एकमात्र प्रकरण लड़ाई–झगड़े का है जो 25 वर्ष पुराना है। अप्रार्थी के विरूद्ध उक्त कार्यवाही पेश करने से पूर्व थाना अधिकारी, अन्ता द्वारा किसी भी प्रकार की कोई रिपोर्ट चरित्र बाबत् प्राप्त नहीं की है। प्रार्थी नगरपालिका, अन्ता में ठेकेदारी का कार्य कर रहा है। जो प्रार्थी के बच्चे विवाह योग्य हो गये है तथा वह शांतिपूर्वक निवास कर रहा है। गैरसायल के विरूद्ध 2–3 वर्ष से किसी प्रकार का कोई गम्भीर किस्म का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। थाना अधिकारी द्वारा अभियान के दौरान राज्य सरकार के दबाव में आकर उक्त प्रकरण दर्ज कर गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की है। प्रार्थी को यदि जिला बदर किया गया तो उसके बुजुर्ग माता–पिता की सेवा करने वाला कोई नहीं है तथा परिवार को गम्भीर समस्या का सामना करना पड़ेगा। प्रार्थी के विरूद्ध लगाये गये सारे मुकदमों में फैसला हो चुका है। कोई प्रकरण जैरकार नहीं है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के विरूद्ध खोली गयी कार्यवाही निरस्त करने की कृपा करें।

अभियोजन अधिकारी पक्ष सरकार एवं गैरसायल के अभिभाषक की बहस सुनी तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया गया। गैरसायल के विरूद्ध पुलिस थाना अन्ता में वर्ष 1987 से 2015 तक की अवधि में कुल 16 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ(06), पीडीपीपी व एससी/एसटी एक्ट(01) एवं भादस(09) के तहत दर्ज हुये है। जिनमें कुल 06 प्रकरणों में गैरसायल अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत न्यायालय से सजायाब हो चुका है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 16:40:54 IST
Reason: SelfAttested

अतः उक्त समस्त तथ्यों के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि आबिद पुत्र सुभान खाँ जाति मुसलमान निवासी भैरूपाडा, अन्ता जिला बाराँ द्वारा उक्त अपराध किए गए है। जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) की परिभाषा में आना पूर्णतया सिद्व है, क्योंकि धारा 2 (आ) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल कुल 06 प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब किया जा चुका है।

अतः गैरसायल आबिद पुत्र सुभान खाँ जाति मुसलमान निवासी भैरूपाडा, अन्ता जिला बाराँ को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूँ तथा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 (3) (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत बारां जिले के पुलिस थाना क्षेत्र अन्ता से 15 दिन के लिए गैरसायल को निष्कासित किये जाने का आदेश देता हूँ।

गैरसायल आबिद पुत्र सुभान खाँ जाति मुसलमान निवासी भैरूपाडा, अन्ता जिला बाराँ को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना अन्ता जिला बाराँ क्षेत्र से 15 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल उक्त अवधि में अपनी उपस्थिति प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना, सीमलिया जिला कोटा को देगा। इस अवधि में अपराधी ऐसा कोई आचरण नहीं करेगा जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरूद्व हो अर्थात् इस अवधि में पूर्ण सच्चरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा।

गैरसायल के विरूद्व यह आदेश दिनांक 28.10.2021 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बारां एवं थानाधिकारी पुलिस थाना सीमलिया, जिला कोटा को दी जावें। थानाधिकारी पुलिस थाना अन्ता जिला बारॉ को तहरीर दी जावे, जिसमें यह लिखा जावें कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना अन्ता जिला बारॉ क्षेत्र से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना सीमलिया जिला कोटा के सुपुर्द कर, पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक **12.10.2021** को मेरे द्वारा सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 16:40:54 IST
Reason: SelfAttested